कार्यालयः मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बारां, जिला बारां (राज0)

क्रमांकः– स्टेनो/प्रशा./42 दिनांक :- 08-07-2021

–:: कार्यालय आदेश ::–

मुझ ऋतु मीणा, आर0जे0एस0, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बारां द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973(केन्द्रीय अधिनियम संख्या 02 सन् 1974) की धारा 14(1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विधि एवं विधिक कार्य विभाग, जयपुर की अधिसूचना क्रमांक प.1(1) न्याय/2021 जयपुर, दिनांक 26.05.2021 द्वारा नवसृजित न्यायालय–अति0 वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या–2, छबड़ा जिला बारां(राज0) व पूर्व न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, छबड़ा का नाम परिवर्तन कर अति0 वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या–1, छबड़ा किये जाने के कारण, उक्त दोनों न्यायालयों हेतु फौजदारी प्रकरणों बाबत् क्षेत्राधिकार से संबंधित, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के पत्र क्रमांक सामान्य/II/01/2021 दिनाक 05.06.2021 एवं श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, बारां के अनुमोदन आदेश क्रमांक स्था./865 दिनांक 07.06.2021 के अनुसरण में, इस कार्यालय के कार्यालय आदेश क्रमांक स्टेनो/प्रशा./38 दिनांक 07.06.2021 से निम्न आदेश दिनांक 10.06.2021 से प्रभावी होने का आदेश पारित किया गया था।

क्र0सं0	पुलिस थाने व अधिनियम का नाम, जिसके संबंध में आदेश जारी किया गया	पूर्व में क्षेत्राधिकारिता रखने वाले न्यायालय का नाम	इस आदेश के पश्चात् से क्षेत्राधिकारिता रखने वाले न्यायालय का नाम
01	02	03	04
01.	छबड़ा थाना, और खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, ड्रग्स एण्ड कॉस्मेटिक्स एक्ट के प्रकरण, आवश्यक वस्तु अधिनियम, एन.आई. एक्ट से संबंधित समस्त प्रकरण	न्याया0– वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, छबड़ा	न्याया0– अति0 वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या–1 छबड़ा
02.	बापचा, आबकारी थाना छबड़ा, आबकारी वृत्त छबड़ा, वन विभाग छबड़ा,	न्याया0– वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, छबड़ा	न्याया0– अति0 वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या–2 छबड़ा

किन्तु श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, बारां से प्राप्त अनुमति दिनांक 10.06.2021 के आधार पर, जब तक माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त नवसृजित न्यायालय अति0 वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या–2, छबड़ा में पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति नहीं की जाती है, तब तक के लिए इस कार्यालय के आदेश क्रमांक स्टेनो/प्रशा./39 दिनांक 10.06.2021 से उक्त आदेश स्थगित किया गया था। **अब चूँकि माननीय राज0 उच्च न्यायालय के आदेश क्रमांक Estt. (RJS)/64/2021 दिनांक 07.07.2021 के द्वारा नवसृजित न्यायालय अति0 वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या–2, छबड़ा में पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति हो चुकी है। अतः इस कार्यालय के पूर्व आदेश क्रमांक स्टेनो/प्रशा./38 दिनांक 07.06.2021, दिनांक 10.07.2021 से प्रभावी होगा।**

(ऋतु मीणा)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बारां
जिला बारां(राज0

क्रमांक :– 849 दिनांक :– 8/7/21

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, बारां को सादर सूचनार्थ।
2. अति0 वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या–1/ संख्या–2, छबड़ा को सूचनार्थ एवं पालनार्थ
3. श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक, बारां सूचनार्थ एवं पालनार्थ
4. पुलिस थाना छबड़ा/बापचा/आबकारी थाना छबड़ा/वृत्त छबड़ा/वन विभाग छबड़ा
5. अध्यक्ष, बार ऐसोसिएशन छबड़ा
6. सिस्टम ऑफिसर जिला न्यायालय, बारां को बारां न्याय क्षेत्र की Website -dictricts. ecourts. gov.in/baran पर इस आदेश को अपलोड करने हेतु।
7. कार्यालय प्रति ।

(ऋतु मीणा)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बारां
जिला बारां(राज0)